संख्या–1326 / XXIV(1) / 2009–50 / 2008

प्रेषक,

डा0राकेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) देहरादूनः दिनांकः 23 सितम्बर, 2009

**विषयः– वित्तीय वर्ष 2009–2010 हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–515 / XXVII(1) / 2009, दिनांक 28.07.2009 तथा शासनादेश संख्या–495 / XXIV(1) / 2009–50 / 2008, दिनांक 05.05.2009 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु बेसिक शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं पर व्यय हेतु संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार आयोजनागत पक्ष अनुदान संख्या–11 में, रू0 67,47,84,000/– (रूपये सड़सठ करोड़ सैतालीस लाख चौरासी हजार मात्र) की धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. उक्त धनराशि का आहरण आपको आवंटित डी0डी0ओ0 कोड पर किया जायेगा, जिस हेतु राज्य परियोजना निदेशक, "उत्तराखण्ड सभी के लिये शिक्षा परिषद्" द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर देयक आपको प्रस्तुत किया जायेगा एवं उक्त देयक आप द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करते हुए, कोषागार से संबंधित धनराशि का चैक प्राप्त कर राज्य परियोजना निदेशक के नाम से संचालित संबंधित योजनाओं के खाते में डाला जायेगा।

3. उक्त मदों से भिन्न मदों में व्यय हेतु धनराशि के आहरण के प्रस्ताव पूण्र औचित्य के साथ वित्त विभाग की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे। धनराशि का आहरण / व्यय फेजिंग के आधार पर किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

4. **यह स्पष्ट किया जाता है कि अब योजनावार स्वीकृत की जा रही धनराशि में शासनादेश संख्या–495 / XXIV(1) / 2009–50 / 2008, दिनांक 05.05.2009 में, (01 अप्रैल,2009 से 31 जुलाई,2009 तक) स्वीकृत की गयी कुल धनराशि भी सम्मिलित है।**

**यदि किसी योजना/शीर्षक एवं मद में आय व्ययक 2009–10 में बजट प्राविधान लेखानुदान में प्राविधानित धनराशि से कम हो तो धनराशि आय व्ययक प्राविधान की सीमा तक ही व्यय की जायेगी।**

5. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय केवल चालू योजनाओं पर ही नियोजन विभाग द्वारा आवंटित परिव्यय की सीमा तक ही किया जायेगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष की नई मदों के कार्यान्यवयन हेतु नही किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों/शासनादेशों के तहत निम्नलिखित शर्तो के अधीन किया जायेगा:–

(1) योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहॉ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त हो जायेगी।

(2) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुवल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(3) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिये कदापि न छोड़ी जाय।

(4) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दियें जांय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्याधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जांय।

(5) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों की विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(6) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये। उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

(7) केन्द्रपोषित योजनाओं के राज्यांश की धनराशि केन्द्रांश प्राप्त होने के उपरान्त जारी की जायेगी। जिन केन्द्रीय योजनाओं हेतु सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त है अथवा केन्द्र सरकार की बचनबद्धता परिलक्षित होती है, ऐसी योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ करने के लिय वित्त विभाग की सहमति उपरान्त अग्रिम के तौर पर आंशिक वित्तीय स्वीकृति जारी की जा सकती है।

(8) अवशेष धनराशि की जिलावार फॉट एवं अनुदान संबंधी योजनाओं के गत वर्ष स्वीकृत धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र इसी माह के अन्त तक शासन को प्रस्तुत कर दिये जाये, तभी अवशेष धनराशि की स्वीकृत निर्गत किया जाना सम्भव होगा।

(9) स्वीकृत धनराशि की जिलावार फॉट संबंधित जिलों एवं शासन को तीन दिन के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

6. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–01–प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संलग्नक में उल्लिखित संबंधित व्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–395(P)/वित्त अनुभाग–3/2007, दिनांक 14.09.2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(डा0राकेश कुमार)
सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओवराय बिल्डिंग, देहरादून।
2. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, वैभव पैलेस, सी–1/105, इन्द्रानगर, देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
4. राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिये शिक्षा परिषद्, देहरादून।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड (निदेशक के माध्यम से)
6. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ओ0पी0तिवारी)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या–1326 / XXIV(1) / 2009–50 / 2008, दिनांक 23 सितम्बर, 2009 का संलग्नक।

---

अनुदान संख्या–11

| (धनराशि हजार रूपये में) | | |
|---|---|---|
| लेखाशीर्षक | | आयोजनागत |
| राजस्व लेखा | | |
| 2202– | सामान्य शिक्षा | |
| 01– | प्रारम्भिक शिक्षा | |
| 101– | राजकीय प्राथमिक विद्यालय | |
| 01– | केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र पुरोनिधानित योजनाऐं | |
| 0102– | विद्यालयों में पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाना | |
| 20– | सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता | 155974 |
| | *योगः–101* | *155974* |
| 102– | अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता | |
| 01– | केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें | |
| 0101– | राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम (2 / 3 केन्द्र पोषित) | |
| 20– | सहायक अनुदान / अंशदन / राज सहायता | 18810 |
| | *योगः–102* | *18810* |
| 800– | अन्य व्यय | |
| 01– | केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें | |
| 0104– | सर्व शिक्षा अभियान (35% राज्यांश) | |
| 20– | सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता | 500000 |
| | *योगः–800* | *500000* |
| | महायोगः– | 674784 |

**(रूपये छड़सठ करोड़ सैतालीस लाख चौरासी हजार मात्र)**

तिवारी

(ओ0पी0तिवारी)
उप सचिव।